



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय:- लोक भवन सचिवालय परिसर में स्थापित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की मूर्ति की कलरिंग एवं पॉलिश कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4209/सं०नि०-25(5)/2022-25 दिनांक 02 फरवरी, 2026 तथा निदेशक, उ०प्र० राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या- 1015/चतुर्थ-578 / 2024-25 दिनांक 07 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक भवन सचिवालय परिसर में स्थापित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की मूर्ति की कलरिंग एवं पॉलिश कार्य कराये जाने पर हुए व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक भवन सचिवालय परिसर में स्थापित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की मूर्ति की कलरिंग एवं पॉलिश कार्य कराये जाने पर हुए व्यय **रु० 2.80 लाख (रूपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) स्वीकृत धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर संबंधित संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,80,000.00 (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 4202041060900** महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उ०प्र० राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
- 7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।